<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मोहम्मद इकरार बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 136/2020</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>24.09.20</td><td>अपीलार्थी मोहम्मद इकरार पुत्र बक्सूखां, पता लोहिया कॉलेज के पीछे, वार्ड नं.24, सुन्दरिया सदन के सामने, चूरू (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.06...20 में उसके द्वारा (1) एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नम्बर 1786/2002 बाबुसिंह राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य के फैसला दिनांक 24.04.2014 की पालना में बाबूसिंह राजपुरोहित, सम्पतराज, श्रीमती अंजना भण्डारी के किये गये आदेश की प्रमाणित प्रति (समायोजन व पदस्थापन आदेश), से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को पेश की गई।

लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद अधिकारी, जोधपुर द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश कमांक एफ–4(36)सू.अ./प. सवि/2020/502 दिनांक 10.07.2020 की पालना में यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित करने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से जरिये पत्रांक 9470 दिनांक 21.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में कार्यालय के पत्रांक 8696 दिनांक 09.07.2020 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि उक्त सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है जो कर्मचारी के पदस्थापन एवं समायोजन संबंधित निजी जानकारी है तथा उक्त प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपेक्ष्य में वर्तमान में आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अपनी रिपोर्ट में आगे यह भी बतलाया कि बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में उक्त कार्मिकों को वाद संख्या 1786/2002 बाबूसिंह राजपुरोहित बनाम राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.04.2014 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र कमांक 62218 दिनांक 11.03.2015 द्वारा लिपिक के चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के अंतरिम आदेश डी.बी. रिट याचिका 1620/2014 के निर्णय के अध्यधीन प्रदान किये गये थे अतः डी.बी. का निर्णय विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट के साथ उनके कार्यालय द्वारा
लगातार...</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.10.20 12:32:32 IST
Reason: SelfAttested

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1786/2002 निर्णय दिनांक 24.04.2014 के अन्तर्गत कार्यालय के आदेश कमांक 62218 दिनांक 11.03.2015 जारी किये गये जो एक शासकीय आदेश है तथा ऐसे आदेश तृतीय पक्षकार से संबंधित मानते हुए सूचना नहीं दी जा सकती, ऐसे तर्क से हम सहमत नहीं है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी ने मात्र एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1786/2002 निर्णय दिनांक 24.04.2014 की पालना में कार्यालय से किये गये आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गई जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में देय है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद [illegible]) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature

Digitally sign
Date: 2020.1
Reason: Sel